परामर्श संख्या -11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 **मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)**
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 1 10001

फा सं . 120015**/**25**/टी पी पी /**2021**/सी ए क्यू एम** **दिनांक:** 3O.08.2023

सेवा में ,

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी।
2. अपर मुख्य सचिव (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा), हरियाणा सरकार
3. अपर मुख्य सचिव (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत), उत्तर प्रदेश सरकार
4. प्रधान सचिव (विद्युत), पंजाब सरकार
5. बिजली संयंत्रों के प्रबंध निदेशक:

I. महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर, हरियाणा
II. पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल, हरियाणा
III. राजीव गांधी टीपीएस, हिसार, एचपीजीसीएल, हरियाणा
IV. दीनबंधु छोटूराम टीपीएस, यमुनानगर, एचपीजीसीएल, हरियाणा
V. गुरु हरगोबिंद टीपीएस, पीएसपीसीएल, पंजाब
VI. नाभा पावर लिमिटेड, राजपुरा टीपीएस, पंजाब
VII. तलवंडी साबो टीपीएस, मनसा, टीएसपीएल, पंजाब
VIII. गुरु गोबिंद सिंह टीपीएस, पीएसपीसीएल, पंजाब।
IX. हरदुआगंज टीपीएस, यूपीआरवीयूएनएल, उत्तर प्रदेश

विषय: ताप विद्युत संयंत्रों में बायो-मास की सह-दहन (फायरिंग) (धान के भूसे-आधारित छर्रों (पेलेट्स) पर ध्यान केंद्रित करना) ।

महोदय,

पूरे एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में धान की पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता है और धान की पराली के एक्स –सिटू उपयोग के लिए ताप विधुत संयंत्रों में इसकी सह-दहन (फायरिंग) द्वारा उपयोग के लिए दिनांक 17.09.2021 को निदेश संख्या 42 जारी किया गया और धान की पराली के एक्स –सिटू उपयोग के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के लिए विभिन्न रणनीतियों से संबंधित परामर्शी दिनांक 28.07.2021 को जारी की गई |

2. आयोग के उपर्युक्त वैधानिक निर्देश के तहत दिल्ली से 300 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में स्थित चिन्हित सभी 11 ताप विद्युत सयंत्रों को आदेश दिया गया है कि सतत आपूर्ति श्रंखला के माध्यम से पेलेट्स (धान की भूसी से बने हुए) कुल कोयला की आवश्यकता में से 5-10% तक सह-दहन (फायरिंग) करें |

3. उपरोक्त निर्देशों को एनटीपीसी द्वारा पूरे देश में उनके कुछ संयंत्रों में सफल परीक्षण और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन द्वारा सुगम बनाया गया | तदनुसार एनटीपीसी संयंत्रों सहित उपरोक्त 11 ताप विद्युत संयंत्रों की पहचान की गई और उन्हें नियमित रूप से सह-फायरिंग के लिए निर्देशित किया गया।

4. इस आशय से, जबकि एनटीपीसी इकाइयां और कुछ चुनिंदा अन्य टीपीएस से नियमित सह-फायरिंग शुरू कर दी गई हैं | हरियाणा राज्य में अभी भी 3 टीपीपी और पंजाब राज्य में 4 टीपीपी क्रमशः में सह-फायरिंग शुरू करना बाकी है | हालाँकि, उन संयंत्रों के लिए भी जहां सह-फायरिंग शुरू कर दी गई है, वहां बायोमास पेलेट्स की सह-फायरिंग लक्षित मात्रा से काफी कम है। इस संबंध में विद्युत मंत्रालय और आयोग द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है |इसके अलावा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 11-07-2023 की अधिसूचना संख्या 499(ई) के तहत जो टीपीपी सह-फायरिंग लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते, उनके विरुद्ध पर्यावरण मुवाबजा (ई सी) लगाया जा सकता है, जिसका संज्ञान लिया जाए |

5. ताप विधुत संयंत्रों के साथ ऐसी सभी समीक्षाओं के दौरान यह पाया गया कि अपेक्षित मात्रा में बायो मास पेलेट्स की निरंतर/नियमित आपूर्ति न होने पर एनटीपीसी सहित अधिकांश ताप विद्युत् संयंत्रों ने प्रकाश डाला, जिसमें निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाने का मुख्य कारण विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत अव्यवहारिक दरें और / या निविदाओं के मानदंड/शर्तों के अनुरूप नहीं होना है | ऐसी स्थितियाँ भी सामने आईं जहाँ कुछ सफल बोलीदाताओं को कई निविदाएं बोली में मिलीं, लेकिन एक साथ इतनी मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता का अभाव था, जिसमें क्षेत्र में अन्य एक्स-सिटू अनुप्रयोग भी शामिल हैं |

6. ऐसी सभी समीक्षाओं में, बायो-मास पेलेट्स के लिए मूल्य/दरों की बेंचमार्किंग की आवश्यकता महसूस की गई ताकि टीपीएस में सह-फायरिंग के लिए बड़ी मात्रा में कृषि आधारित पेलेट्स बार-बार खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके |

7. उपरोक्त के अनुरूप, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 23.08.2023 के पत्र क्रमांक' 11/86/2017-टी एच ॥ के तहत एनसीआर में नॉन-टॉरिफाइड बायो-मास पेलेट के लिए @ रु. 2.32/1000 किलो कैलोरी दिनांक 01.09.2023. से एक वर्ष की अवधि के लिए तय किया है जिसमें जीएसटी और पेलेट्स विनिर्माण संयंत्र स्थल पर जीएसटी और परिवहन लागत शामिल नहीं है | हालाँकि, ऐसे पेलेट्स में नमी (moisture) 14% से कम और GCV 2800-3400 Kcal/Kg के बीच आवश्यक है |

8. यह मानते हुए कि एक स्थापित बेंचमार्क कीमत सुविधा प्रदान करती है और इससे बायोमास पेलेट्स की खरीद/निविदा की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है और कृषि आधारित बायो मास विशेषत: धान की भूसी की अत्यधिक उपलब्धता के मद्देनजर दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में चिन्हित 11 थर्मल पावर प्लांटों के लिए राज्य सरकारों को अपनी संबंधित इकाइयों में बायो-मास सह-फायरिंग बढाने की आवश्यकता

है जिससे कि आयोग की वैधानिक निदेश संख्या 42 का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके| तदनुसार उचित कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर आगामी धान की फसल की कटाई से काफी पहले की जाए|

हस्ता०
(अरविंद नौटियाल)
सदस्य- सचिव
ईमेल: arvind.nautival@qov.in

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
2. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
5. अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम
6. सचिव, विद्युत मंत्रालय

(अरविंद नौटियाल)
सदस्य- सचिव